

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,

आर्य काम पब्लिक जूनियर हाई स्कूल  
डिलीवर, ग्रेटर नोएडा गोतम बुद्धनगर।

पत्रांक सं0: शि.स./ २२४४-१३ / २००३-०४ दिनांक १५-९-०४ .

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अरथायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरोक्तक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 11→2004 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अरथायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

- 1) विद्यालय की अरथायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि रथायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अरथायी मान्यता को रथायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती ।
- 2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिसम वेजजरेकट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
- 3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र धर्म का सम्मान व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।
- 4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जायें ।
- 5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।
- 6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आहता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे ।
- 7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संरथा द्वारा कक्षा अथवा कोई सेवक न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।
- 8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।

Manager

Arya Kamal Public School  
Greater Noida (UP)

Principal

Arya Kamal Public School  
Greater Noida (UP)

- 11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निश्चल शिक्षा प्रतीक की जाये।
- 12) विभागीय आदेशों का पालनप किया जाये।
- 13) विद्यालय के समरत स्थायी अध्यापक / अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
- 14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।
- 15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 रखायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय,

४०३-०३  
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ

पुराणो शिस./

/ 2003-03 — दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की रोका में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु  
प्राप्ति।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाँधिगढ़
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाँधिगढ़
5. शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका नगर क्षेत्र।
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर नोर्डा, गौ. पु. नगर

राहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
मेरठ मण्डल मेरठ

*कमल रत्न*  
Manager  
Arya Kamal Public School  
Ckg/jhr/mmm  
Greater Noida (UP)

*लक्ष्मी*  
Principal  
Arya Kamal Public School  
Greater Noida (UP)